<u>न्यायालय : शिवानी शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद, जिला भिण्ड,म.प्र.</u>
(आप.प्रक.क्रमांक :- 1378 / 2015)
(संस्थित दिनांक :- 28 / 12 / 2015)

म.प्र. राज्य, द्वारा आरक्षी केन्द्र :– मौ। जिला–भिण्ड., म.प्र.

.....अभियोजन

/ / विरूद्ध / /

- 01. विनोद राणा पुत्र हरी सिंह राणा, उम्र 46 वर्ष।

<u>// निर्णय//</u>

(आज दिनांक : 04/05/2018 को घोषित)

- 01. अभियुक्तगण पर धारा 452, 504, 323/34 एवं 506 भाग।। भा.द.सं. के अन्तर्गत आरोप हैं कि उन्होंने दिनांक :— 10/10/2015 को दोपहर लगभग 01:00 बजे फरियादी दीपचन्द्र का मकान स्थित ग्राम चम्हेड़ी में, लाठी लेकर एवं अभियुक्त विनोद राणा ने अग्नायुध कट्टा लेकर फरियादी दीपचन्द्र को उपहित हमला या सदोष अवरोध की तैयारी करने के पश्चात प्रवेश कर गृह अतिचार किया, फरियादी दीपचन्द्र को साशय अपमानित किया और इस आशय से या यह संभाव्य जानते हुए प्रकोपित किया कि वह ऐसे प्रकोपन से या तो लोक शांति भंग करे या अन्य अपराध कारित करे एवं सहअभियुक्तगण के साथ सामान्य आशय के अग्रसरण में आहतगण दीपचन्द्र, कलावती एवं सुरेश की लात—घूसों एवं लाठी से मारपीट कर स्वेच्छया उपहित कारित की, फरियादी दीपचन्द्र को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया। साथ ही अभियुक्त विनोद राणा पर धारा 27 (01) आयुध अधिनियम के अन्तर्गत उक्त दिनांक, समय एवं स्थान पर अपने आधिपत्य में एक 315 बोर का कट्टा बिना किसी वैध अनुज्ञप्ति के रखकर धारा—03 आयुध अधिनियम का उल्लघंन करने और उक्त कट्टे से फायर कर धारा 05 आयुध अधिनियम का उल्लघंन करने का आरोप है।
- **02.** प्रकरण में यह निर्विवादित तथ्य है कि आहतगण एवं अभियुक्तगण एक ही गांव के निवासी होकर पूर्व से परिचित है।
- 03. प्रकरण के विचारण के दौरान फरियादी दीपचन्द्र एवं आहत कलावती प्रजापित का अभियुक्तगण से राजीनामा हो जाने के कारण लिखित राजीनामा दिनांक : 05/08/2016 को अभिलेख पर प्रस्तुत किया गया है तथा उक्त राजीनामा के आधार पर अभियुक्तगण को शमनीय अपराध अन्तर्गत धारा 504, 323/34 (आहत दीपचन्द्र एवं

कलावती के संबंध में) एवं 506 भाग।। भा.द.सं. के आरोप से दोषमुक्त किया गया है।

- 04. अभियोजन कथा संक्षिप्त में इस प्रकार है कि घटना दिनांक :— 10/10/2015 को दोपहर लगभग 01:00 बजे फरियादी दीपचन्द्र अपने घर के सामने बैठा था। उसी समय अभियुक्त विनोद राणा कट्टा लेकर एवं सन्जू राणा लाठी लेकर वहाँ आये और फरियादी को मॉ—बहन की गालियाँ देने लगे, गालियाँ देने से मना करने पर विनोद राणा ने कट्टे से फायर किया और फिर दोनों अभियुक्तगण ने फरियादी की लात—घूसों से मारपीट कर दी। अभियुक्त विनोद राणा ने कट्टे की बट दीपचन्द्र के सिर पर मारी, जिससे खून निकल आया, जब फरियादी की मॉ कलावती एवं सुरेश प्रजापति उसे बचाने आये तो अभियुक्त विनोद ने कलावती के सिर पर बैटी मारी और अभियुक्त सन्जू ने सुरेश की लाठी से मारपीट की। तत्पश्चात् अभियुक्तगण जान से मारने की धमकी देते हुये वहाँ से भाग गये।
- 05. फरियादी द्वारा दिनांक : 10/10/2015 को ही घटना की रिपोर्ट थाना मौ में की गई, जिसके आधार पर अपराध क्रमांक 230/2015 धारा 323, 294, 506 भाग।।, 452, 336 सहपठित धारा 34 भा.द.सं. पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। आहतगण का मेडीकल परीक्षण कराया गया। दौरान—ए—विवेचना घटनास्थल का नक्शा—मौका बनाया गया। फरियादी दीपचन्द्र, साक्षी हरचरन, सुरेश, कलावती के बताये अनुसार कथन लेखबद्ध किये गये। अभियुक्त विनोद राणा को अभिरक्षा में लेकर मैमोरेंडम तैयार किया गया। तत्पश्चात् उससे 315 बोर का एक कट्टा एवं खाली कारतूस एवं अभियुक्त सन्जू से लाठी जब्त कर जब्ती पंचनामा बनाया गया। अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक बनाया गया। जब्तशुदा कट्टा की जांच कराई गई एवं अभियोजन स्वीकृति प्राप्त कर विवेचना उपरान्त अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
- 06. अभियुक्तगण ने आरोपित अपराध अस्वीकार करते हुये निर्दोषिता का बचाव किया। अभियुक्त परीक्षण अन्तर्गत धारा 313 दं.प्र.सं. में अभियुक्तगण द्वारा व्यक्त किया गया कि उन्हें प्रकरण झूठा फंसाया गया है। अभियुक्तगण की ओर से कोई बचाव साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई।
- 07. प्रकरण के निराकरण हेतु मुख्य विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित है :--
- 01. क्या अभियुक्तगण ने दिनांक :— 10/10/2015 को दोपहर लगभग 01:00 बजे फरियादी दीपचन्द्र का मकान स्थित ग्राम चम्हेड़ी में, लाठी लेकर एवं अभियुक्त विनोद राणा ने अग्नायुध कट्टा लेकर फरियादी दीपचन्द्र को उपहति हमला या सदोष अवरोध की तैयारी करने के पश्चात प्रवेश कर गृह अतिचार किया?
- 02. क्या अभियुक्तगण ने उक्त दिनांक, समय एवं स्थान पर, फरियादी दीपचन्द्र को साशय अपमानित किया और इस आशय से या यह संभाव्य जानते हुए प्रकोपित किया कि वह ऐसे प्रकोपन से या तो लोक शांति भंग करे या अन्य अपराध कारित करे?

- 03. क्या अभियुक्तगण ने उक्त दिनांक, समय एवं स्थान पर, सहअभियुक्तगण के साथ सामान्य आशय के अग्रसरण में आहतगण दीपचन्द्र, कलावती एवं सुरेश की लात-घूसों एवं लाठी से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की?
- 04. क्या अभियुक्तगण ने उक्त दिनांक, समय एवं स्थान पर, फरियादी दीपचन्द्र को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया?
- 05. क्या अभियुक्त विनोद राणा ने उक्त दिनांक, समय एवं स्थान पर अपने आधिपत्य में एक 315 बोर का कट्टा बिना किसी वैध अनुज्ञप्ति के रखकर धारा—03 आयुध अधिनियम का उल्लघंन करने और उक्त कट्टे से फायर कर धारा 05 आयुध अधिनियम का उल्लघंन किया?

<u>सकारण व्याख्या एवं निष्कर्ष</u> <u>विचारणीय बिन्दु कमांक :– 01 लगायत 05</u>

- **08.** साक्ष्य विवेचना में सुविधा की दृष्टि से तथा साक्ष्य के अनावश्यक दोहराव से बचने के लिए विचारणीय बिन्दु क्रमांक 01 लगायत 05 का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।
- 09. साक्षी दीपचन्द्र अ.सा.02 ने अपने न्यायालयीन कथन में बताया है कि घ ाटना दिनांक को शाम के लगभग 03—04 बजे वह अपने घर पर रिश्तेदारों से बात कर रहा था। तभी अभियुक्त विनोद राणा ने अभियुक्त सन्जू राणा से उसे बुलवाया, तत्पश्चात् विनोद ने उसे पकड़ लिया और सन्जू ने उसकी मारपीट कर दी। जब उसकी मां कलावती और रिश्तेदार सुरेश ने बचाने का प्रयास किया तो अभियुक्तगण ने घर के अन्दर उनकी भी मारपीट कर दी। तत्पश्चात् अभियुक्तगण वहाँ से चले गये। साक्षी ने घटना की रिपोर्ट प्र.पी.04 थाना मौ में लिखाना भी बताया है।
- 10. साक्षी दीपचन्द्र घटना में फरियादी होकर मुख्य आहत है, जिसके द्वारा अभियोजन के मूल मामले से भिन्न घटना वृतांत बताते हुये अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया है। अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी घोषित सूचक प्रश्न पूछे जाने पर यद्यपि साक्षी इस सुझाव को स्वीकार करता है कि अभियुक्तगण ने आकर गाली—गलौच एवं मारपीट की थी, किन्तु इस बात से इन्कार किया है कि घटना के समय विनोद ने कट्टे से उसके सिर में मारा था, जिससे खून निकल आया था। इस बात की जानकारी से भी इन्कार किया है कि अभियुक्त विनोद ने कलावती के सिर में कट्टे की बैटी मारी थी और सन्जू ने सुरेश की लाठी से मारपीट की थी। इस प्रकार इस साक्षी द्वारा आंशिक रूप से अभियोजन के मामले का समर्थन किया है।
- 11. साक्षी अवनीश शर्मा अ.सा.०४ ने दिनांक : 10 / 10 / 2015 को फरियादी दीपचन्द्र के बताये अनुसार अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध क्रमांक 230 / 2015 धारा 323, 294, 452, 336 एवं 506 भाग ।। सहपठित धारा 34 भा.द.सं. पर प्रथम सूचना

रिपोर्ट प्र.पी.04 लेखबद्ध करना बताया है। जहाँ कि प्र.पी.04 की रिपोर्ट के अनुसार घ । तब पहले अभियुक्त विनोद राणा अपने हाथ में कट्टा लेकर और सन्जू राणा लाठी लेकर वहाँ आया और गाली—गलौच तथा मारपीट की। विनोद राणा ने कट्टे से फायर किया और फरियादी दीपचन्द्र को कट्टे से चोट पहुँचाई। इसके विपरीत अपने न्यायालयीन कथनों में साक्षी ने ऐसी किसी घटनाक्रम का उल्लेख नहीं किया है, बल्कि बताया है कि वह घर के अन्दर रिश्तेदारों से बात कर रहा था, तब सन्जू राणा उसे बुलाने आया था और फिर दोनों अभियुक्तगण ने उसकी मारपीट की थी।

- 12. दौरान प्रति—परीक्षण साक्षी दीपचन्द्र अ.सा.02 का कहना है कि अभियुक्तगण ने उसे थप्पड़ और घूसों से मारा था, जिससे उसे चोटें आई थी, इसके अलावा अन्य कोई चोट नहीं आई थी। उसके घर वालों ने उसे कमरे के अन्दर बंद कर दिया था, इस कारण वह नहीं देख सका था कि विनोद के हाथ में कट्टा था, अथवा नहीं। साक्षी दीपचन्द्र अ.सा.02 का उसके प्रति—परीक्षण के पद कमांक 10 में कहना है कि उसके सामने अभियुक्त सन्जू ने उसकी माँ कलावती एवं भतीजे सुरेश को कोई मारपीट नहीं की थी। जबिक प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार कलावती एवं सुरेश द्वारा बीच—बचाव करने पर सन्जू द्वारा उनकी मारपीट की गई। इस प्रकार साक्षी दीपचन्द्र के न्यायालयीन कथनों में प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.04 एवं पुलिस कथन प्र.पी.06 से गंभीर विरोधाभाष विद्यमान है।
- 13. साक्षी कलावती अ.सा.03 ने भी दीपचन्द्र के कथनों का समर्थन करते हुये बताया है कि अभियुक्तगण ने घर के दरवाजे पर दीपचन्द्र की मारपीट की थी, बीच—बचाव में उसकी एवं सुरेश की भी मारपीट की गई थी। साक्षी का कहना है कि दीपचन्द्र को शरीर में कहीं कोई खून नहीं निकल रहा था, बिल्क मुंदी चोट आई थी। जबिक प्र.पी.04 की प्रथम सूचना रिपोर्ट में सिर पर चोट लगने से दीपचन्द्र को खून निकलने का उल्लेख है। साक्षी कलावती का कहना है कि अभियुक्त विनोद ने उसके दरवाजे पर फायर किया और मारपीट करके वापस चले गये, लगभग आधा घण्टा बाद पुनः दोनों अभियुक्तगण आये और फिर से मारपीट की थी। जबिक ऐसे किसी ६ । टनाक्रम का उल्लेख ना तो फरियादी दीपचन्द्र द्वारा किया गया और ना ही प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.04 में ऐसी रिपोर्ट की गई है। इसके विपरीत दीपचन्द्र का कहना है कि झगड़े के तुरन्त बाद वह थाने चला गया था और रात्रि आठ—नौ बजे लौटकर आया था।
- 14. साक्षी कलावती ने प्रति—परीक्षण के पद क्रमांक 08 में बताय है कि सुरेश के सिर में चोट लगने से खून निकल रहा था। जबिक स्वयं साक्षी सुरेश का ऐसा कहना नहीं है। साक्षी ने अपने ही कथनों से अन्तिविरोधाभाषी कथन करते हुये पद क्रमांक 09 में बताया है कि उसे आंखों से दिखाई नहीं देता और कानों से सुनाई नहीं देता। उसने झगड़ा अपनी आंखों से नहीं देखा था। आरोपी विनोद के पास कोई कट्टा नहीं था, यहाँ तक की साक्षी का कहना है कि दीवाल से सिर टकरा जाने के कारण

उसे चोट आई थी। इस प्रकार साक्षी कलावती ने प्रथमतः तो अभियोजन के मूल मामले से भिन्न कथन किये है, साथ ही अपने ही कथनों में गंभीर विरोधाभाष विद्यमान होने के कारण इस साक्षी के कथनों पर विश्वास नहीं किया जा सकता। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि फरियादी दीपचन्द्र एवं आहत कलावती के संबंध में अपराध का शमन हो जाने के कारण उपहित के बिन्दु पर विचार नहीं किया जाना है, अपितु मात्र आहत सुरेश को आई हुई उपहित के संबंध में विचार किया जाना है। डॉ.राहुल भदौरिया अ. सा.01 के अनुसार दिनांक : 10/10/2015 को आहत सुरेश के मेडीकल परीक्षण में सिर में दर्द, बाये हाथ पर छिलन और पीठ में चोट एवं सूजन पाई थी। चोटें सख्त एवं भौथुरी वस्तु से कारित सामान्य प्रकृति की थी, जिसकी मेडीकल रिपोर्ट प्र.पी.01 है।

- 15. साक्षी सुरेश अ.सा.06 ने अभियोजन के मामले से बढ़—चढ़कर कथन करते हुये अभियुक्त विनोद राणा एवं सन्जू राणा के अतिरिक्त एक अन्य व्यक्ति का ध । ह कि तीनों व्यक्तियों ने दीपचन्द्र को घर के अन्दर से खींचकर बाहर निकाला, थप्पड़ मारे, फिर दीपचन्द्र का छोटा भाई दाताराम वहाँ आ गया, जिसने बीच—बचाव किया था, तब वह अपनी बाईक लेकर वहाँ से जाने लगा, तो अभियुक्तगण ने उसे पकड़ लिया, थप्पड़ मारे और चैन तोड़ दी। इस प्रकार साक्षी सुरेश ने मूल अभियोजन कथानक से भिन्न घटना वृन्तांत न्यायालय के समक्ष बताया है। दौरान प्रति—परीक्षण पद कमांक 04 में साक्षी का कहना है कि अभियुक्त विनोद राणा का भांजा शराब पीकर आया था और दीपचन्द्र को गाली दी थी और उसी व्यक्ति ने उसे तथा दीपचन्द्र को थप्पड़ मारे थे। अभियुक्त विनोद राणा ने अपने भांजे को पकड़ा था। जिसका नाम उसे नहीं पता। साक्षी प्र.पी.01 का पुलिस कथन पुलिस को देने से इन्कार करता है। साक्षी का कहना है कि विनोद राणा ने उसके साथ कोई मारपीट नहीं की थी।
- 16. आगे साक्षी सुरेश अ.सा.06 ने बताया है कि सन्जू राणा से उसका कोई विवाद नहीं हुआ था, साथ ही सन्जू ने उसकी, दीपचन्द्र एवं कलावती की कोई मारपीट नहीं की और ना ही गाली—गलौच की। इस प्रकार यदि तीनों आहत के कथनों पर विचार करें, तो साक्षी दीपचन्द्र के अनुसार अभियुक्तगण ने उसके समक्ष आहत सुरेश के साथ कोई मारपीट नहीं की थी। कलावती के अनुसार घटना उसके सामने नहीं हुआ था, जबकि स्वयं आहत सुरेश के अनुसार उसके के साथ ना तो अभियुक्त विनोद राणा ने मारपीट की थी, ना ही अभियुक्त सन्जू राणा ने, बल्कि किसी तीसरे व्यक्ति ने मारपीट की थी, जिसे वह नहीं जानता।
- 17. जहाँ तक धारा 452 भा.द.सं. का प्रश्न है, साक्षी दीपचन्द्र के अनुसार घाटना के समय उसकी माँ ने उसे कमरे के अन्दर बन्द कर दिया था। कलावती के अनुसार उनके घर में केवल एक ही कमरा है, अन्य कोई कमरा नहीं है, जिसमें उसने दीपचन्द्र को बंद कर दिया था। अब यदि फरियादी के घर में मौजूद एक मात्र कमरे में दीपचन्द्र बंद था और झगड़ा घर के बाहर हुआ था, तब अभियुक्तगण द्वारा हमला या सदोष अवरोध की तैयारी के साथ उनके घर में प्रवेश कर गृह अतिचार का प्रश्न

उत्पन्न नहीं होता है।

- 18. पूर्वोक्त विवेचना के आधार पर यह प्रमाणित नहीं है कि दिनांक : 10/10/2015 को दोपहर 01:00 बजे अभियुक्तगण ने फरियादी के निवास गृह स्थित ग्राम चम्हेड़ी में लाठी एवं कट्टा लेकर उपहित, हमला या सदोष अवरोध की तैयारी के पश्चात् प्रवेश कर गृह अतिचार किया है एवं आहत सुरेश की मारपीट कर स्वेच्छया उपहित कारित की। फलतः अभियुक्तगण को धारा 452 एवं 323 भा.द.सं. के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।
- 19. जहाँ तक अभियुक्त विनोद राणा पर आयुध अधिनियम की धारा 27 (01) के अन्तर्गत दण्ड़नीय अपराध का प्रश्न है, इस संबंध में साक्षी भैयालाल सनोरिया अ.सा. 07 का कहना है कि प्रकरण की विवेचना के दौरान उसने घटनास्थल का नक्शा—मौका प्र.पी.05 बनाया था। अभियुक्त विनोद राणा को अभिरक्षा में लेकर मैमोरेंडम प्र.पी.10 तैयार किया था और अभियुक्त के बताये अनुसार स्थान से अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत करने पर कट्टा जब्त कर जब्ती पत्रक प्र.पी.11 बनाया था। साक्षी सुनील बौहरे अ.सा.04 ने प्रकरण में जब्तशुदा 315 बोर का देशी कट्टा एवं कारतूस एवं खाली खोखा की जांच करना, एक्शन चैक कर कट्टा चालू हालत में फायर योग्य होना तथा कारतूस जिंदा होना बताया है, जिसकी जांच रिपोर्ट प्र.पी.07 तैयार करना बताया है।
- जहाँ तक घटना के समय अभियुक्त के आधिपत्य में कट्टा होने का प्रश्न है, इस बिन्दू पर सभी चक्षुदर्शी साक्षी दीपचन्द्र अ.सा.02, कलावती अ.सा.03 एवं सुरेश अ.सा.०६ ने घटना के समय अभियुक्त विनोद राणा के आधिपत्य में कट्टा होने से इन्कार किया है, अर्थात् घटना के समय उक्त अभियुक्त के पास कट्टा मौजूद होना प्रमाणित नहीं होता। यह उल्लेखनीय है कि साक्षी मईयालाल सनोरिया अभियुक्त के बताये स्थान से उसके प्रस्तृत करने पर कट्टा जब्त करना बताते है, किन्तू यह स्पष्ट नहीं किया है कि वास्तव में कट्टे की जब्ती कहाँ से की गई थी। प्रकरण में जब्तशुदा कट्टा मौके पर सीलबंद किये जाने का कोई उल्लेख ना तो जब्ती पत्रक प्र.पी.11 पर है और ना ही जब्तीकर्ता अधिकारी भईयालाल सनोरिया ने ऐसा कोई कथन किया है। यहाँ तक कि उक्त जब्तश्रदा आयुध को विवेचना के दौरान न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत भी नहीं किया गया है। ऐसी दशा में दोषपूर्ण जब्ती के आधार पर आरोपित अपराध प्रमाणित नहीं माना जा सकता। यह भी प्रमाणित नहीं होता है कि जिस आयुध की जांच साक्षी सुनील बौहरे द्वारा की गई थी, वह वही आयुध है, जिसे अभियुक्त के आधिपत्य से जब्त करना बताया गया है। फलतः प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर यह प्रमाणित नहीं है कि अभियुक्त विनोद राणा ने घटना दिनांक, समय एवं स्थान पर अपने आधिपत्य में एक 315 बोर का कट्टा बिना किसी वैध अनुज्ञप्ति के रखकर धारा–03 आयुध अधिनियम का उल्लघंन करने और उक्त कट्टे से फायर कर धारा 05 आयुध अधिनियम का उल्लघंन किया। अतः अभियुक्त विनोद राणा को धारा 27 (01) आयुध अधिनियम के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

- 21. अभियुक्तगण द्वारा अन्वेषण या विचारण के दौरान अभिरक्षा में काटी गई अवधि के संबंध धारा 428 द.प्र.स. का प्रमाण पत्र बनाया जावे।
- 22. अभियुक्तगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते है। जमानतदार को स्वतंत्र किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित। एवं दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

(शिवानी शर्मा) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद

(शिवानी शर्मा) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद